न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–60 / 2013–14

राम सकल सिंह वगैरह बनाम प्रमिला देवी

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

11/5/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद राम सकल सिंह एवं अन्य के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38 / 2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 17.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्नानुसार है

प्रथम पक्ष

1. श्री राम सकल सिंह, पिता स्व0 द्वारिका प्रसाद सिंह

2. श्री मनोज कुमार, पिता राम सकल सिंह, ग्राम–पलाकी, थाना–गौरीचक, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. श्रीमती प्रमिला देवी, पति महेश प्रसाद सिंह उर्फ मैनेजर, पिता विनय प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–मसाढ़ी, थाना–कराय परसुराय, जिला–नालन्दा

2. अंचलाधिकारी, पुनपुन

3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
पुनपुन	पलाकी	68	144	28	0.48
			108	256	$0.62\frac{1}{2}$
			124	257	0.28
			18	239	$0.12\frac{1}{2}$
			144	55	$0.04\frac{1}{2}$
			22	162	0.31

आवेदकगण का कथन है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड द्वारिका प्रसाद सिंह की मौरूसी सम्पति थी। पारिवारिक वंशावली निम्नानुसार है।

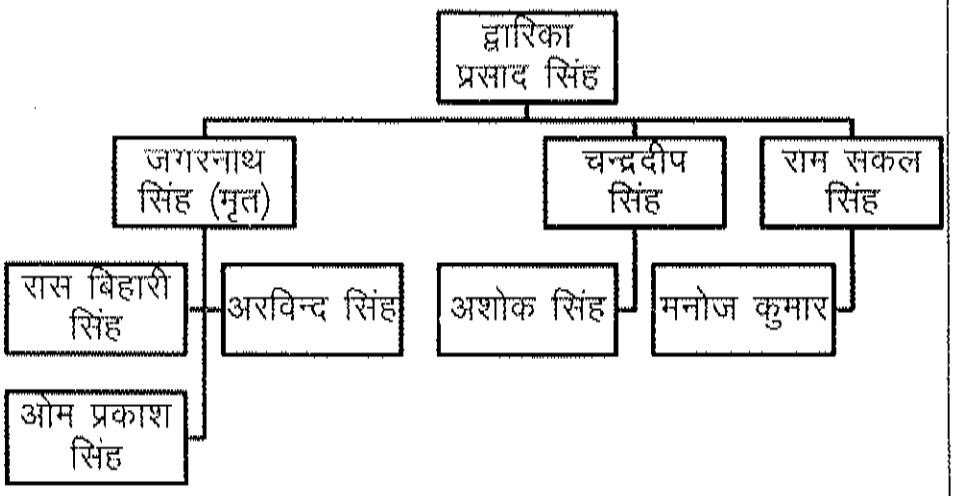

(2) द्वारिका सिंह के तीनों पुत्र जगरनाथ सिंह, चन्द्रदीप सिंह एवं राम सकल सिंह के बीच 24–25 वर्ष पहले बंटवारा हो चुका था तथा तीनों भाई अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण दखल में है।

(3) विपक्षी प्रमिला देवी इस परिवार के लिए अजनबी है। उनके द्वारा स्वंय को मनोज कुमार की प्रथम पत्नी बता कर फर्जी बंटवारानामा के आधार पर विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, पुनपुन को आवेदन दिया गया।

(4) विपक्षी प्रमिला देवी के द्वारा राजस्व कर्मचारी को अपने मेल में लेकर झूठा प्रतिवेदन दिलाया गया। अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा जमाबंदीदार को बिना नोटिस दिये दाखिल खारिज वाद सं0 760/2011–12 के अन्तर्गत विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(5) दाखिल खारिज के लिए प्रस्तुत बंटवारानामा अथवा शपथ पत्र पूर्णतः फर्जी है। बंटवारानामा अथवा शपथ पत्र पर राम सकल सिंह एवं मनोज कुमार का फर्जी हस्ताक्षर है।

(6) क्रिमिनल अपील सं0 50/2005 मनोज कुमार सिंह बनाम सरकार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश–iii पटना के द्वारा दिनांक 28.02.2006 को न्याय निर्णय दिया गया है कि इस वाद की विपक्षी प्रमिला देवी, का विवाह मनोज कुमार के साथ कभी नहीं हुआ था, तथा प्रमिला देवी, मनोज कुमार की पत्नी नहीं है।

(7) विपक्षी प्रमिला देवी के द्वारा दिनांक 14.11.1994 को एक परिवाद पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को दिया गया था, जिसकी जाँच श्रीमती मालती कुमारी, प्रभारी महिला कोषांग के द्वारा की गयी। जाँचकर्ता के द्वारा पटना एवं पलाकी ग्राम में जाँचोपरान्त वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदित किया गया कि प्रमिला देवी का विवाह मनोज कुमार से नहीं हुआ है।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0 50/2005 के दिनांक 28.02.2006 के न्याय निर्णय को रखा गया, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा इस महत्वपूर्ण साक्ष्य

पर ध्यान दिये बिना अपील अस्वीकृत कर दी गई।

(9) विवादित भूखण्ड आवेदकगण के दखल–कब्जा में है तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को भ्रामक प्रतिवेदन दिया गया कि आवेदक राम सकल सिंह, पलाकी गाँव में नहीं रह कर पटना में रहते है तथा विवादित भूखण्ड विपक्षी प्रमिला देवी के दखल में है।

(10) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2011–12 में दिनांक 17.08.2013 को पारित आदेश को अनुचित एवं अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) श्रीमती मालती कुमारी, प्रभारी महिला कोषांग का जाँच प्रतिवेदन जो दिनांक 30.11.1994 को वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को दिया गया।

(2) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना में दाखिल सूचना आवेदन, विविध वाद सं0 855(एम)/93

(3) क्रिमिनल अपील सं0 50/2005 में दिनांक 28.02.2006 का न्याय निर्णय

विपक्षी प्रमिला देवी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) पुनरीक्षण आवेदन पोषनीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है।

(2) विपक्षी प्रमिला देवी, आवेदक सं0 2 मनोज कुमार की पहली पत्नी है। दिनांक 19.07.1993 को हिन्दु रीति रिवाज से उनका विवाह मनोज कुमार से सम्पन्न हुआ था। दहेज प्रताड़ना को लेकर विपक्षी के द्वारा मनोज कुमार एवं उनके पिता के विरूद्ध परिवाद पत्र सं0 978(सी)/1995 दायर किया गया। तत्पश्चात् दोनों पक्षों में समझौता हुआ तथा पंचों की उपस्थिति में बंटवारा हुआ। विपक्षी को बंटवारा में विवादित भूखण्ड प्राप्त हुआ।

(3) बंटवारा में मिले भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, पुनपुन को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 760/2011–12 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी तथा विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 93 कायम की गयी।

(4) दाखिल खारिज वाद में अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2011–12 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अंचलाधिकारी, पुनपुन के आदेश को सम्पुष्ट किया गया।

(5) प्रमिला देवी के नाम से निर्गत आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में पति के रूप में मनोज कुमार का नाम दर्ज है।

(6) विपक्षी के नाम से बंटवारानामा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, जिसपर विपक्षी प्रमिला देवी राम सकल सिंह एवं

मनोज कुमार का हस्ताक्षर है। साथ ही उपस्थित पंचों का भी हस्ताक्षर है। उक्त पंचनामा/बंटवारानामा को आवेदकगण के द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2011–12 में दिनांक 17.08.2013 को पारित आदेश को उचित एवं विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी प्रमिला देवी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है

(1) दिनांक 12.10.2010 का पंचनामा/बंटवारानामा

(2) दिनांक 07.12.2013 को वकालतन नोटिस जो काशीनाथ प्रसाद सिंह की तरफ से प्रमिला देवी को भेजी गयी है।

(3) आरक्षी निरीक्षक, हिलसा का जांच प्रतिवेदन

(4) प्रमिला देवी का मतदाता पहचान पत्र

(5) प्रमिला देवी का आधार कार्ड

(6) Complaint case no 978(c)/1995 में दिनांक 03.03.2005 का न्याय निर्णय

(7) प्रमिला देवी के नाम से निर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) विपक्षी प्रमिला देवी स्वंय को मनोज कुमार (आवेदक सं0 2) की प्रथम पत्नी बताती है। साक्ष्य के रूप मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। विपक्षी का दावा है कि दहेज प्रताड़ना को लेकर उनके द्वारा मनोज कुमार एवं उनके पिता के विरूद्ध अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्यायालय में Complaint case no 978(c)/1995 दायर किया गया था, जिसमें मनोज कुमार को सजा हुई। साक्ष्य के रूप में दिनांक 03.03.2005 के न्याय निर्णय की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

विपक्षी प्रमिला देवी का यह कथन सही है कि उनके द्वारा मनोज कुमार एवं अन्य के विरूद्ध Complaint case no 978(c)/1995 दायर किया गया था, जिसमें मनोज कुमार को कैद हुई थी, परन्तु Complaint case के दिनांक 03.03.2005 के न्याय निर्णय के विरूद्ध मनोज कुमार के द्वारा क्रिमिनल अपील सं0 50/2005 दायर की गयी, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश–III पटना के द्वारा दिनांक 28.02.2006 के अपने न्याय निर्णय से Complaint case no 978(c)/1995 में दिनांक 03.03.2005 के आदेश को निरस्त करते हुए यह न्याय निर्णय दिया गया कि प्रमिला देवी का मनोज कुमार के साथ विवाह ही नहीं हुआ था।

माननीय न्यायालय के द्वारा प्रमिला देवी को मनोज कुमार की पत्नी

नहीं माना गया तथा मनोज कुमार को दोषमुक्त कर दिया गया।

(2) माननीय न्यायालय के द्वारा जब दिनांक 28.02.2006 को यह न्याय निर्णय दे दिया गया कि प्रमिला देवी का विवाह मनोज कुमार के साथ नहीं हुआ था, उस स्थिति में दिनांक 12.10.2010 को पंचनामा/बंटवारानामा बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। माननीय न्यायालय से इस प्रकार का आदेश हो जाने के पश्चात राम सकल सिंह एवं मनोज कुमार के द्वारा ऐसे किसी पंचनामा पर जिसमें प्रमिला देवी को मनोज कुमार की पहली पत्नी मानते हुए, इसे पारिवारिक सम्पति में हिस्सा दिया गया हो, पर हस्ताक्षर करने की बात समझ में नहीं आती। पंचनामा पर मनोज कुमार एवं राम सकल सिंह की सहमति/हस्ताक्षर को फर्जी माना जा सकता है। इसी प्रकार राम सकल सिंह के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना के समक्ष दिनांक 30.05.2011 के लिया गया शपथ पत्र की फर्जी कहा जा सकता है।

(3) निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा जमाबंदीदार को सूचना निर्गत नहीं की गयी है। बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज करने की स्थिति में तो यह आवश्यक है कि बंटवारा के सभी पक्षकार की सहमति प्राप्त कर के ही दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाय।

दिनांक 12.10.2010 के तथाकथित बंटवारानामा/पंचनामा में तीन पक्षकार है।

(क) राम सकल सिंह

(ख) मनोज सिंह

(ग) प्रमिला देवी

अंचलाधिकारी, पुनपुन के लिए आवश्यक था कि तीनों पक्षकारों को नोटिस दी जाती तथा सभी की सहमति प्राप्त होने पर ही किसी एक के हिस्से की दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती, परन्तु अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा इस वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के आदेश एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के पत्रांक 660 दिनांक 01.07.2013 से अंचलाधिकारी, पुनपुन से स्वंय स्थल जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गयी, परन्तु अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा स्वंय जांच नहीं कर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच कराकर जांच प्रतिवेदन पत्रांक 1032 दिनांक 14.08.2013 से भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को भेजा गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के संयुक्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि विवादित भूखण्ड राम सकल सिंह के दखल कब्जा में है। पुनः अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन की पीठ पर अंकित किया गया कि विवादित भूखण्ड प्रमिला देवी के दखल कब्जा में है। इस प्रकार के भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर प्रमिला देवी का दखल मानते हुए दाखिल खारिज बाद सं0 760/2011–12 में दिनांक 21.07.2011

को पारित आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया।

(5) यहाँ एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि दाखिल खारिज वाद सं0 760/2011–12 में दाखिल खारिज की स्वीकृति के उपरान्त राम सकल सिंह के द्वारा अंचलाधिकारी, पुनपुन को दिनांक 06.02.2012 को इस आशय का आवेदन दिया गया कि प्रमिला देवी के द्वारा फर्जी बंटवारानामा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है, तब अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा अपने पत्रांक 307 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को दाखिल खारिज वाद सं0 760/2011–12 में पारित अपने आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। साथ ही अपने पत्रांक 308 दिनांक 06.02.2012 को प्रमिला देवी की जमाबंदी को स्थगित करने का आदेश निर्गत किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अंचलाधिकारी, पुनपुन की इस कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि अंचलाधिकारी को अपने ही आदेश का Review करने तथा स्थगित करने का अधिकार नहीं है। जबकि बैजनाथ दूबे बनाम देवनदंन सिंह केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि "It cannot be doubted that a court has inherent power to recall orders obtained by practising fraud on it, at the instance of a party to the proceeding. There is no question of the court being functus officio because the court remains the jurisdiction to recall such orders."

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा क्रिमिनल अपील सं0 50/2005 में दिनांक 28.02.2006 को पारित न्याय निर्णय, पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें प्रमिला देवी को मनोज कुमार की पत्नी ही नहीं माना गया है।

(10) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज के बुनियादी नियम पर ध्यान नहीं दिया गया कि बंटवारा की स्थिति में सभी पक्षकारों को नोटिस किया जाना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस मामले के तथाकथित बंटवारानामा के तीनों फरीकों में से दो फरीक राम सकल सिंह एवं मनोज कुमार को कोई नोटिस निर्गत नहीं की गयी। जानकारी मिलने पर उनके द्वारा अंचलाधिकारी, पुनपुन से अपनी असहमति जताते हुए आवेदन दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में अपील दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा सहमति के बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

(11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दखल के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज अपील सं0 38/2011–12 में आदेश पारित किया गया है, परन्तु राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का उक्त प्रतिवेदन ही भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण है। अंचल निरीक्षक के द्वारा उसी प्रतिवेदन में पहले विवादित भूखण्ड पर राम सकल सिंह का दखल बताया गया है, पुनः प्रमिला देवी के दखल होने की बात अंकित की गयी है। इस प्रकार के भ्रामक एवं मनगढंत जांच प्रतिवेदन पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के

द्वारा पारित आदेश आपतिजनक है।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मानना है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 17.08.2013 को पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। इस स्थिति में दाखिल खारिज वाद सं0 760/2011–12 में अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा दिनांक 21.07.2011 को पारित आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी, अंचलाधिकारी, पुनपुन एवं इस वाद के पक्षकार को दें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

1/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

1/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना